

न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर म० प्र०

प्रकरण क्रमांक /14-15 पी० बी० आर० /पुनरावलोकन

क्रि.सू. 2574-PBR-15

- 1 - राजाराम कुशाहा पुत्र स्व० श्री किशोरीलाल
- 2 - हरगोविन्द कुशाहा पुत्र स्व० श्री तुलसीराम कुशाहा, दोनों निवासी गण गोशपुरा न० 2 हजीरा ग्वालियर

दिनांक 10-8-15 को
 7 को पी० कुशाहा, को
 द्वारा अर्जित।
 10-8-15
 50
 10/8/2015

----- आवेदकगण

बनाम

- 1 - रामसिंह मृतक वादहू वारिष्ठान
 इअ। श्रीमती माधुरी देवी कुशाहा पत्नी-
 स्व० श्री रामसिंह कुशाहा
 इब। अनिल कुशाहा पुत्र स्व० श्री रामसिंह कुशाहा
 इस। डॉ० राकेश कुशाहा पुत्र स्व० श्री रामसिंह
 इद। मुकेश कुशाहा पुत्र स्व० श्री रामसिंह कुशाहा
 इइ। राजेश कुशाहा पुत्र स्व० श्री रामसिंह कुशाहा
 ससत्त निवासी गण गोशपुरा न० 2 हजीरा
 ग्वालियर म० प्र०
- 2 - मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर ग्वालियर हाल
 कार्यालय स्थित ग्राम बाहदपुर तिरौल रोड,
 जिला ग्वालियर म० प्र०

----- अनावेदकगण


क्रमांक: 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2574-पीबीआर/15

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-9-2015	<p>आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11-6-2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण <p>अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।</p>	<p style="text-align: right;">  (मनोज गौयल) अध्यक्ष </p>